न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुबोधसिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—70 / 2023 (2023 / 247) वाद पत्र

अनवान

1. कंचन कंवर पुत्री रंगलाल ब्राहम्ण निवासी सुखामण्ड हाल निवास सगरेव तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. कंवरलाल पिता कजोड़मल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतनलाल पिता कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बक्क्षुराम पिता कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कन्हैयालाल पिता कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. समदा पुत्री कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. विमला पुत्री कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मीना पुत्री कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. महेन्द्रसिंह —

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—07.02.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार मण्डल सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी के स्वामित्व की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 4816 / 820 रकबा 0.56 हैक्ट, आराजी संख्या 4818 / 809 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 818 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 व प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश की है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित वादग्रस्त आराजी संख्या 4816 / 820 रकबा 0.56 हैक्टर, आराजी संख्या 4818 / 809 रकबा 0.21 हेक्टर, अराजी संख्या 818 रकबा 0.42 हेक्टर आराजी संख्या 821रकबा 0.32 हेक्टर भुमि पर प्रतिवादीगणो द्वारा करीबन 3 वर्ष पूर्व जोर जबरन तथा संख्या में अधिक होने के कारण वादीया की वादग्रस्त भुमि पर थोहर की बाड लगी हुई थी उसे जे०सी०बी० से हटा कर जे०सी०बी० मशीन से डोल डालकर व काटें दार छडीयां डालकर अवैध रुप से कब्जा कर लिया इसकी जानकारी वादीया को होने पर वादीया ने प्रतिवादीगणो से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगणो ने कहा कि आप आपकी भुमि को नपवा लो हमारे में आपकी भूमि निकलेगी तो हम अपना कब्जा हटा लेगें। इस पर वादिया ने उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 व 128 एक सौ ग्यारह व एक सौ अट्ठाईस भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया जो दिनांक 01.04.2021 को स्वीकार हुआ। इस आदेश की क्रियान्विती में माफिक आदेश भू—अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी ने बसामलात ग्राम के मोतबिरान को साथ लेकर प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मुस्तकिल निशान को आधार बनाकर नपती शुरू की एवं जमीन को नापकर पत्थर लगवाये गये, जिसमे आराजी संख्या 818 रकबा 0.42 हेक्टर, आराजी संख्या 4816 / 820 रकबा 0.56 हेक्ट, आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 हेक्टर की सम्पुर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का अनाधिकृत

आधिपत्य पाया गया जिसे हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपने पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 08.03.2022 मे स्पष्ट रूप से दर्शाया हैं प्रमाण मे प्रमाणित प्रति पत्थरगढी आदेश, पर्चा मौका दिनांक 08.03.2022 की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश हैं। वादिया की खातेदारी भुमि में पूर्व पत्थरगढी प्रार्थना पत्र त्रुटी वश आराजी संख्या 4818 / 809 रकबा 0.21 हेक्टर भुमि छुट गया था जिसकी पुनः उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 व 128 एक सौ ग्यारह व एक सौ अट्ठाईस भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया जो दिनांक 13. 04.2022 को स्वीकार हुआ। इस आदेश की क्रियान्विती में माफिक आदेश भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी ने बसामलात ग्राम के मोतबिरान को साथ लेकर प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मुस्तकिल निशान को आधार बनाकर नपती शुरू की एवं जमीन को नापकर पत्थर लगवाये गये, जिसमे आराजी संख्या 4818 / 809 रकबा 0.21 हेक्टर की सम्पुर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया जिसे हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपने पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 01.05.2023 मे स्पष्ट रूप से दर्शाया है प्रमाण में प्रमाणित प्रति पत्थरगढी आदेश, पर्चा मौका दिनांक 01.05.2023 की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने वादिया की जमीन पर से अपना अनाधिकृत आधिपत्य नहीं हटाया। जबकि वादिया के खातेदारी अधिकार की उक्त वर्णित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को न तो अनाधिकृत कब्जा करने का अधिकार है और न रखने का ही फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 मनमाना तौर पर दादागिरी व भूजबल के आधार पर व संख्या मे अधिक होने से वादिया द्वारा कराई गई पत्थरगढ़ी के दौरान भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नसब कराये गये पत्थरों को जो कि सीमा चिन्ह थे को कानून को हाथ मे लेकर पत्थर हटा दिये तथा वादिया को कब्जा सिपूर्द करने बाबत भी मना कर दिया जबकि उनको वादिया की खातेदारी की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को कई मर्तबा कहा कि वे वादिया के स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार की जमीन जिसका वर्णन वादपत्र की कलम संख्या 1 मे किया गया हैं का कब्जा वादिया को सुपुर्द कर दें और अन्तिम बार दिनांक 26.05.2023 को कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिससे वादिया को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 4816 / 820 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 4818 / 809 रकबा 0. 21 है0, आराजी संख्या 818 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को बेदखल किया जाकर वादीया के पक्ष में कब्जेयापी की डिक्री सादिर फरमाई जावे। साथ ही बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात को प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द नही करे भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट नही करे एवं उक्त आराजी में खड़े वृक्षो को नही काटे एवं बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 फसल लाभ व घास हर्जे की राशि 50000 / – रूपया सालाना से कब्जा मिलने तक वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 से दिला पाने की डिक्री सादर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 तामिल लेने से मना करने से अदम मानते हुए बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादी को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादी की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 818 रकबा 0.42 हेक्टर, आराजी संख्या 4816 / 820 रकबा 0.56 हेक्ट, आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 हेक्टर, आराजी संख्या 4818 / 809 रकबा 0.21 हेक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादी लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव की आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 है0 सम्पूर्ण भूमि पर, आराजी संख्या 4816 / 820 रकबा 0.56 है0 मे से 0.20 है0 भूमि पर, आराजी संख्या 818 रकबा 0.42 है0 मे से 0.30 है0 भूमि पर, आराजी संख्या 4818 / 809 रकबा 0.21 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के कब्जे को हटाया जाकर वादीया को दिलाया जावे एवं इसी के साथ बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीया की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व नष्ट नही करे न ही किसी अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुबोध सिंह चारण
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–70 / 2023 (2023 / 247) वाद पत्र

अनवान

1. कंचन कंवर पुत्री रंगलाल ब्राहम्ण निवासी सुखामण्ड हाल निवास सगरेव तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. कंवरलाल पिता कजोड़मल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतनलाल पिता कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बक्क्षुराम पिता कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कन्हैयालाल पिता कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. समदा पुत्री कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. विमला पुत्री कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मीना पुत्री कंवरलाल खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव की आराजी संख्या 821 रकबा 0.32 है0 सम्पूर्ण भूमि पर, आराजी संख्या 4816 / 820 रकबा 0.56 है0 मे से 0.20 है0 भूमि पर, आराजी संख्या 818 रकबा 0.42 है0 मे से 0.30 है0 भूमि पर, आराजी संख्या 4818 / 809 रकबा 0.21 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के कब्जे को हटाया जाकर वादीया को दिलाया जावे एवं इसी के साथ बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीया की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व नष्ट नही करे न ही किसी अन्य से करावे।

डिक्री आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(सुबोधसिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)